दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

785. **श्री वीरेन जे. शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा हाल ही में सप्रेटा दूध में दूध-चूर्ण मिला कर बनाया हुआ दूध उपभोक्ताओं को बेचने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रक्रिया से दूध बनाने के परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को अतिरिक्त घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस नए निर्णय के परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को अब तक कितना घाटा हो चुका है;

(घ) क्या यह भी सच है कि खुले बाजार में प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध होने के बावजूद दिल्ली दुग्ध योजना ने सप्रेटा दूध से दूध तैयार करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय ब्यूरो से जांच करायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी; नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना, मिश्रित दूध/गाय के दूध से प्राप्त वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों का मानकीकरण करके टोन्ड दुग्ध तथा डबल टोन्ड दुग्ध की सप्लाई करती है। वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की अतिरिक्त अपेक्षित मात्रा, सफेद मक्खन/बटर आयल तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर (एस.एम.पी.)/स्किम्ड मिल्क से ली जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : दुग्ध वसा के उपलब्ध भण्डारों का उपयोग करने के लिए, दिल्ली दुग्ध योजना को स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ मिला कर दुग्ध बनाना पड़ा । तथापि, पर्याप्त मात्रा में स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध न होने के कारण, दिल्ली दुग्ध योजना को स्किम्ड मिल्क पाउडर के स्थान पर स्किम्ड मिल्क खरीदना पड़ा ।

(च) जी, नहीं ।

देश में बाढ़-प्रवण नदियां

786. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सामान्यतः बाढ़ प्रवण नदियों का ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से क्षेत्र बाढ़ प्रवण हैं;

(ख) सरकार बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है; और

(ग) गत दो वर्षों में राज्यवार कितनी धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक महानदी, बैतरनी ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा एवं ताप्ती एवं उनकी सहायक नदियां मुख्य बाढ़ प्रवण नदियां ही देश के 400 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ ला सकती हैं ।

(ख) और (ग) अनुमान लगाया गया है कि 320 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को काफी हद तक बाढ़ से बचाया जा सकता है। अब तक लगभग 140 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बचाया गया है । प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में राहत कार्यों को निष्पादित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है । इस प्रयोजन के लिए 1-4-1990 से प्रत्येक राज्य के लिए एक नियत राशि के साथ एक आपदा राहत निधि का गठन किया गया है, जिसका 75% केन्द्रीय सरकार एवं शेष 25% सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । आपदा राहत निधि में निधियों के वार्षिक नियतन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)** । सम्बन्धित राज्य सरकारें आपदा राहत निधि की राशि में से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं जिसमें कृषि आदान राजसहायता से गाद बचाव के लिए सहायता एवं कीटनाशक के लिए सहायता आदि शामिल है ।

विवरण

1 अप्रैल, 1990 से आरंभ हुए पांच वर्षों में से प्रत्येक में राज्यों की आपदा राहत निधि में योगदान-केन्द्र का योगदान एवं राज्य का शेयर

(करोड़ रुपये में)

राज्य	प्रत्येक राज्य की आपदा राहत निधि में वार्षिक योगदान की राशि	केन्द्र का योगदान	राज्य का शेयर
1. आन्ध्र प्रदेश	86.00	54.50	21.50
2. अरुणाचल प्रदेश	2.00	1.50	0.50
3. असम	30.00	22.50	7.50
4. बिहार	35.00	26.25	8.75
5. गोवा	1.00	85.00	0.75
6. गुजरात	85.00	63.75	21.25
7. हरियाणा	17.00	12.75	4.25
8. हिमाचल प्रदेश	18.00	13.50	4.50
9. जम्मू व कश्मीर	12.00	9.00	3.00
10. कर्नाटक	27.00	20.25	6.75
11. केरल	31.00	23.25	7.75
12. मध्य प्रदेश	37.00	27.75	9.25
13. महाराष्ट्र	44.00	33.00	11.00
14. मणिपुर	1.00	0.75	0.25
15. मेघालय	2.00	1.50	0.50
16. मिजोरम	1.00	0.75	0.25
17. नागालैण्ड	1.00	0.75	0.25
18. उड़ीसा	47.00	35.25	11.75
19. पंजाब	28.00	21.00	7.00
20. राजस्थान	124.00	93.00	31.00
21. सिक्किम	3.00	29.25	9.75
22. तमिलनाडु	39.00	2.25	0.75
23. त्रिपुरा	3.00	2.025	0.75
24. उत्तर प्रदेश	90.00	67.50	22.50
25. पश्चिम बंगाल	40.00	30.00	10.00
कुल :	804.00	603.00	201.00